| दिनांक 24.09.2024 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 31/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल वीडियो अपलोड करने वाले युवक की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

आज दिनांक 24.09.2024 को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना सैरपुर क्षेत्र में रहने वाले एक इंटरमीडिएट के छात्र द्वारा घर में रखे पुराने दवा का ओवरडोज़ खाकर आत्महत्या करने संबंधी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। उक्त वीडियो के संबंध में दिनांक 24.09.2024 को समय 14.18 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।

**श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** महोदय द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में मुख्यालय सोशल मीडिया सेंटर द्वारा तत्काल छात्र की लोकेशन की जानकारी STF कन्ट्रोल रूम से प्राप्त कर कमिश्नरेट लखनऊ की मीडिया सेल को 14.28 बजे सूचित किया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना व लोकेशन का कमिश्नरेट लखनऊ की मीडिया सेल द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर उक्त सूचना व लोकेशन पर थानाध्यक्ष सैरपुर को पहुँचकर त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष सैरपुर द्वारा **मात्र 20 मिनट के अन्तराल में** छात्र के घर जाकर उससे मुलाकात कर उसकी समस्या की जानकारी एवं काउंसलिंग की गई, जिस पर उक्त छात्र द्वारा बताया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत के दौरान विवाद हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल दुखाने वाली बात कह दी थी, जिससे आहत होकर भावावेश में आकर वह आत्महत्या करना चाह रहा था, इसलिए उसने घर में रखी पुरानी दवा की 10 गोलियां खा ली थी और दवा खाते समय का वीडियो इन्स्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। थानाध्यक्ष द्वारा छात्र के परिजनों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा छात्र

को पानी पिलाकर उल्टी करवा दिया गया है परिजनों को चिकित्सक से परामर्श करने सलाह थानाध्यक्ष द्वारा दी गयी । काउंसलिंग के उपरान्त छात्र द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नही करने का आश्वासन दिया गया। **छात्र के पिता द्वारा इस त्वरित कार्यवाही के लिए पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित** किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य मार्च 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट मेल भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01.01.2023 से 20.09.2024 के मध्य 528 व्यक्तियों** द्वारा की गई आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर उनकी काउंसिलिंग करके उनके प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

## जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली हाटा

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 25 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 24.09.2024 को थाना कोतवाली हाटा, थाना अहिरौली बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाटा महुआडीह रोड ग्राम पटनी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजेन्द्र प्रसाद 2–हरिश्चन्द्र घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 25 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध जनपद कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त हरिश्चन्द्र के विरूद्ध जनपद कुशीनगर, गोण्डा, बस्ती, चित्रकूट के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली हाटा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली हाटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मुडाडीहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

2—हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम बल्दुपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी**

1—चोरी के 25 हजार रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

## जनपद रामपुर/थाना केमरी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.09.2024 को थाना केमरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तीन पानी चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सद्दाम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना केमरी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना केमरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—सद्दाम निवासी टेहरी ख्वाजा थाना खजुरिया जनपद रामपुर।

## जनपद प्रतापगढ़/थाना आसपुर देवसरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 04 लाख 15 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 24.09.2024 को थाना आसपुर देवसरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जलपा नहर के पास से 03 अभियुक्तों 1–दीपक 2–अभिषेक 3–अमन को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 04 लाख 15 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.09.2024 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आसपुर देवसरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना आसपुर देवसरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–दीपक निवासी लवबर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

2–अभिषेक निवासी रामगंज थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

3–अमन निवासी रामगंज बाजार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

**बरामदगी**

1–लूट के 04 लाख 15 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

## जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 48 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23/24.09.2024 को थाना डिबाई थाना नरौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैलोन त्रिलोकपुर तिराहा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विक्की 2–प्रिंस घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 48 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.08.2024 को थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विक्की के विरूद्ध जनपद अयोध्या, रायबरेली, हाथरस, अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त प्रिंस के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगड़, झाँसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–विक्की निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्यप्रदेश।

2–प्रिंस निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्यप्रदेश।

**बरामदगी**

1—चोरी के 48 हजार 500 रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

**जनपद अलीगढ़/थाना हरदुआगंज**

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 06 हजार 50 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.09.2024 को थाना हरदुआगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरौठा नहर पटरी के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोनू उर्फ अंग्रेज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त संजय सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के 06 हजार 50 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.09.2024 को थाना हरदुआगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मोनू उर्फ अंग्रेज के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त संजय के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—मोनू उर्फ अंग्रेज निवासी मोहल्ला सिद्ध कस्बा व थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

2—संजय निवासी मोहल्ला अहीरपाड़ा कस्बा व थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

**बरामदगी**

1—लूट/चोरी के 06 हजार 50 रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद इटावा/थाना फ्रेण्डस कॉलोनी**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 24.09.2024 को थाना फ्रेण्डस कॉलोनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला मानधाता के पास से 02 अभियुक्तों 1—राहुल 2—अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्डस कॉलोनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—राहुल निवासी छिमारा रोड थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

2—अभिषेक निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी।

**बरामदगी**

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद जौनपुर/थाना सुजानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सुजानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354(ख) भादवि व 5एम,एन/6 पॉक्सो एक्ट सपठित धारा 376(1) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश उर्फ राहुल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————